न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09/2020

1 गुटुराम पुत्र किशनाराम।
2 रामकुमार पुत्र किशनाराम।
3 पूर्णाराम पुत्र किशनाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कुहाडू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरलाल पुत्र केशरराम।
2 मनीराम पुत्र केशरराम।
3 अमरचन्द पुत्र रामेश्वरलाल।
4 शंकरलाल पुत्र रामेश्वरलाल।
5 मोहरी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
6 सुनिता पुत्री रामेश्वरलाल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कुहाडू तहसील व जिला झुंझुनू।
7 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एस.बी.आई. मण्डावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (झुंझुनू)

अपील विरूद्व आदेश मय डिक्री दिनांक 11.02.2017
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा नम्बर 137/2012
उनवानी हरलाल आदि बनाम गुटूराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री द्वारका प्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांक:– 24.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 229,241,242,228,142/654,226,265,383, 385, 230 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रकरण में प्राथमिक एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि <u>अपीलांट/प्रतिवादीगण</u> संख्या 1 लगायत 3 किशनाराम के वारिसान है उनका वाद वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा है। उक्त 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने हेतु उन्होने राजीनामा पेश किया था। परन्तु रेस्पोडेंट ने चालाकी से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

बिना कब्जा के आधार पर तहसीलदार झुंझुनू से सांझ करके बिना मौके पर उपस्थित व कब्जे की जांच कर विभाजन प्रस्ताव रेस्पोडेंट को लाभ देने की एवज में तैयार कर बनवाये है। मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 226,142/654, 383 में 1/2 हिस्सा अपीलांट का तथा खसरा नम्बर 241,242 में 1/2 हिस्सा अपीलांट का तथा खसरा नम्बर 230,228,229 में 1/2 हिस्सा पर कब्जा अपीलांट का तथा खसरा नम्बर 265,385 में 1/2 हिस्सा पर कब्जा अपीलांट का है उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव नही बनाया गया। गत सप्ताह में रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलांट को धमकी दी गई कि अपीलांट संख्या 2 का हिस्सा खसरा नम्बर 241,242 में अकेले को दे दिया है जिसका खसरा नम्बर 226 मुख्य सड़क वाले खेत में अब कोई हिस्सा नहीं रहा है अब हम सड़क वाले खेत को लाठी के बल पर खाली करवाये व उक्त भूमि पर कब्जा करेंगे उक्त भूमि हमने हमारे नाम दर्ज करवा ली है। इस पर अपीलांट ने न्यायालय में उक्त दावे की नकल लेने व निर्णय व विभाजन प्रस्ताव की नकल लेने के लिये आवेदन किया जो दिनांक 08.01.2020 को मिली। उसके बाद अपीलांट अपने वकील से मिलकर मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनवाने के लिये व उक्त निर्णय को चुनोती दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ। इसलिये यह अपील आज पेश की जा रही है जो जानकारी होने व नकल मिलने की दिनांक से अन्दर मियाद पेश है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाई जाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य राजीनामे एवं आपसी सहमती के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। विचारण न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर एवं आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.02.2017 में भी अपीलांट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने वकालतन उपस्थिति होने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य राजीनामे एवं आपसी सहमती के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। विचारण न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर एवं आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.02.2017 में भी अपीलांट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने वकालतन उपस्थिति होने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर